FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर, अलवर मुकाम अलवर

उनवानः– **बलविन्दर सिंह बनाम मुकन्द सिंह**

किस्म मुकदमा अपील नम्बर 12/09/2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.06.19	वकील अपीलान्ट एवं रैस्पा0 स्वयं उपस्थित। वक्त बहस वकील अपीलान्ट उपस्थित नहीं रैस्पा0 को सुना गया। रैस्पा0 ने निवेदन किया कि उप खण्ड अधिकारी के न्यायालय से मेरे पक्ष में निर्णय दिया है। मेरा बेटा मुझे निर्वाह भत्ता नहीं देता है, और ना ही मेरी देख भाल करता है। उप खण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय की पालना कराई जावें। हमनें रैस्पा0 के कथन एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 को अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा उप खण्ड अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 06.08.18 के विरूद्व अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 के भाग 16(1) में स्पष्ट अंकित किया हुआ है कि –Any senior citizen or a parent ,as the case may be aggrieved by an order of a Tribunal may, within sixty days from the date of the order, prefer an appeal to the appellate Tribunal. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का न्यायालय हाजा को सुनवाई का अधिकार नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। सुनाया। (इन्द्रजीत सिंह) जिला कलक्टर अलवर (राज0)	